


139

211

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वा लिखररीवा कैम्प रीवा म.प्र.

263
20.5.14



R. 20

R-1988-1114

श्री... पुदीदा...
द्वारा आज दिनांक...
प्रस्तुत किया गया।

र. 5-14

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

॥ 1 ॥ मे० इसहाक तय मे० शाकिर आयु 36 वर्षा निवासी ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन जिला मत्ता म.प्र. - - अमीलार्थी

बनाम

॥ 1 ॥ छोटोदास बैरागी तय श्री सुखदेव बैरागी सा. मुकुन्दपुर तह. अमरपाटन जिला मत्ता म.प्र.

॥ 2 ॥ बबूल दास बैरागी तय जगदीश दास बैरागी सा. मुकुन्दपुर तह. अमरपाटन जिला मत्ता म.प्र.

- - रेस्पा. गण

अमील विरुद्ध न्यायालय अमर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के अमील प्रकरण क्रमांक 300/अमील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 10.3.14

अमील अंतर्गत धारा 44 ॥ 2 ॥ म.प्र. भू. रा. स. सव 1959ई

मान्यवर,

अमील के आधार निम्न लिखित है :-

॥ 1 ॥ यहकि अधिनस्था न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.3.14 विधि स्व प्र क्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

॥ 2 ॥ यहकि अधिनस्था न्यायालय मे अमीलार्थी द्वारा इस आशय की अमील प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि खसरा क्रमांक 26 रकबा 0.08 हि. के संबंध में ~~रेडी~~ द्वारा अधिनस्था न्यायालय अनु विभागीय अधिकारी


11/2/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1988-II/14

जिला-सतना

मो० इसहाक / छोटादास वैरागी

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	